पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

पिंक बूथ टीम ने महिलाओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर, 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत कराया जागरूक।

दिनांक-20.02.2026

थाना ठाकुरगंज की पिंक बूथ-86 टीम द्वारा बालागंज में महिलाओं और बच्चियों को मिशन शक्ति 5.0 के तहत उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा से जुड़े उपायों और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, साइबर क्राइम से बचाव, आपात स्थिति में पुलिस सहायता प्राप्त करने के तरीके तथा आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए गए।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत ठाकुरगंज थाना पुलिस ने आज एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। थाना ठाकुरगंज की मिशन शक्ति टीम ने महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया।

इस अवसर पर महिलाओं और बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा के तरीकों और आपातकालीन सहायता सेवाओं की व्यापक जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें थाना ठाकुरगंज पर संचालित नवनिर्मित "मिशन शक्ति केंद्र" के बारे में भी बताया गया, जहाँ महिलाओं और बच्चियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला का0 सोनम कुमारी, पिंक बूथ 86 थाना ठाकुरगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 अनामिका देवी, पिंक बूथ 86 थाना ठाकुरगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- **पिंक बूथ-86 टीम** द्वारा **बालागंज थाना ठाकुरगंज।**

प्रतिभाग-

- महिला का0 सोनम कुमारी, पिंक बूथ 86 थाना ठाकुरगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 अनामिका देवी, पिंक बूथ 86 थाना ठाकुरगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- **पिंक बूथ-86 टीम** द्वारा **बालागंज में** लगभग 20-25 महिलाओं एवं बच्चियों ने प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

दिनांक 20.02.2026 को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत, लखनऊ कमिश्नरेट के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र स्थित पिंक बूथ-86 की टीम द्वारा बालागंज के क्षेत्र पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन पिंकबूथ 86 की टीम द्वारा ठाकुरगंज क्षेत्र की लगभग 20-25 महिलाओं एवं बच्चियों ने प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम के दौरान, पिंक बूथ टीम ने उपस्थित महिलाओं और बच्चियों को महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण तथा आत्मरक्षा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया। उन्हें दैनिक जीवन में सुरक्षा बनाए रखने और आत्मनिर्भर बनने के व्यावहारिक उपायों से परिचित कराया गया। इस दौरान निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

- महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानूनी अधिकारों एवं प्रावधानों की जानकारी
- साइबर अपराधों से बचाव के उपाय तथा ऑनलाइन सुरक्षा बनाए रखने के तरीके
- बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके और आवश्यक सावधानियाँ
- आपातकालीन स्थितियों में उपलब्ध सेवाओं एवं हेल्पलाइन नंबरों का सही एवं त्वरित उपयोग

कार्यक्रम के दौरान टीम ने न केवल महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण तथा आत्मरक्षा के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा की, बल्कि बच्चियों को "गुड टच" और "बैड टच" की पहचान कराने के लिए सरल एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से एक गहन समझ विकसित की। साथ ही, उन्हें यह सिखाया गया कि किसी भी प्रकार की असुविधा, उत्पीड़न या साइबर अपराध की स्थिति में निर्भीक होकर तत्काल सहायता कैसे लें।

इसके लिए, सभी प्रतिभागियों को प्रमुख हेल्पलाइन नंबरों – 112 (एकीकृत आपातकालीन सेवा), 1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), तथा 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) – की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और उनके सही प्रयोग के बारे में समझाया गया।

इसके अतिरिक्त, टीम ने उपस्थित सभी लोगों को थाना ठाकुरगंज पर स्थापित नवनिर्मित "मिशन शक्ति केंद्र" के बारे में अवगत कराया, जहाँ महिलाओं से संबंधित समस्याओं का त्वरित, संवेदनशील और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। यह कार्यक्रम स्थानीय महिलाओं एवं बच्चियों को सुरक्षा, स्वावलंबन और कानूनी अधिकारों के प्रति सजग एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

कार्यक्रम का उद्देश्य एवं संदेश:-

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं और शिक्षिकाओं में **सुरक्षा के प्रति सजगता, आत्मरक्षा की भावना और कानूनी जागरूकता** बढ़ाना था।

"सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास हर नारी का अधिकार है। किसी भी अनुचित परिस्थिति में बिना डर के अपनी आवाज़ उठाएँ और तुरंत मदद प्राप्त करें।"

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 20.02.2026

पिंक बूथ टीम ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं व बच्चों को उनके अधिकारों व हेल्पलाइन सेवाओं के प्रति किया जागरूक।

थाना मदेयगंज की पिंक बूथ 61 टीम ने मिशन शक्ति के अंतर्गत डालीगंज क्रासिंग के आस-पास महिलाओं, छात्राओं एवं बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा प्रोटोकॉल, साइबर अपराध तथा 1090, 181, 112, 1930 जैसी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन सेवाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए किया जागरूक ।

मिशन शक्ति के तहत, थाना मदेयगंज की पिंक बूथ 61 टीम ने एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस पहल के द्वारा टीम ने गली-मोहल्लों में महिला सशक्तिकरण का संदेश पहुँचाते हुए स्थानीय महिलाओं, छात्राओं और बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। यह प्रयास महिला सुरक्षा के नए सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो 'पिंक बूथ' की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और समुदाय में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की **पिंक बूथ** एक प्रमुख पहल प्रदेश भर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह **पिंक बूथ** उन सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक

- महिला का0 ज्योति, पिंक बूथ 61 थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला हो0गा0 रामादेवी, पिंक बूथ 61 थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना मदेयगंज क्षेत्र डालीगंज क्रासिंग के आस-पास

प्रतिभाग-

- महिला का0 ज्योति, पिंक बूथ 61 थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला हो0गा0 रामादेवी, पिंक बूथ 61 थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना मदेयगंज क्षेत्र डालीगंज क्रासिंग के आस-पास राहगीरो (महिलाओं, छात्राओं और बच्चो) को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 288
दिनांक- 20.02.2026

जोन-दक्षिणी /थाना मोहनलालगंज

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 498 A/304B भादवि व ¾ DP एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ से सम्बन्धित 01 आरोपी को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 7000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरणः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री निपुण अग्रवाल के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली बसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री विकास कुमार पाण्डेय के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 प्रदीप आनन्द के द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी किया गया जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए.डी.जे III द्वारा दिनांक 20/02/2026 को वाद सं0–916/2013 मु.अ.सं.- 160/13 धारा 498A/304B IPC व 3/4 DP एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ में निर्णायक फैसला दिया गया। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 01- गया प्रसाद यादव पुत्र राम कुमार यादव नि0 धनुवांसांड मजरा भदेसुवा थाना मोहनलालगंज लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए धारा 498A IPC में 03 वर्ष का **कठोर कारावास व 2000/- रु0** के अर्थदंड एवं अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 304B IPC में 8 वर्ष का कठोर कारावास व धारा ¾ डीपी एक्ट में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं **5000/- रूपये के अर्थदंड** तथा अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दिया गया। जेल में बितायी गयी अवधि सजा अवधि में समायोजित की जायेगी।

02-नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-

1- गया प्रसाद यादव पुत्र राम कुमार यादव नि0 धनुवासांड मजरा भदेसुवा थाना मोहनलालगंज लखनऊ

03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

1- मु0अ0सं0 160/2013 धारा 498A/304B IPC व 3/4 DP एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ

04-पैरवीकर्ता-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी थाना मोहनलालगंज लखनऊ

2- का0 प्रदीप आनन्द (पैरोकार) थाना मोहनलालगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 288
दिनांक- 20.02.2026

जोन-दक्षिणी /थाना मोहनलालगंज

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 498 A/304B भादवि व ¾ DP एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ से सम्बन्धित 01 आरोपी को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 7000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरणः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री निपुण अग्रवाल के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली बसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री विकास कुमार पाण्डेय के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 प्रदीप आनन्द के द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी किया गया जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए.डी.जे III द्वारा दिनांक 20/02/2026 को वाद सं0–916/2013 मु.अ.सं.- 160/13 धारा 498A/304B IPC व 3/4 DP एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ में निर्णायक फैसला दिया गया। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 01- गया प्रसाद यादव पुत्र राम कुमार यादव नि0 धनुवांसांड मजरा भदेसुवा थाना मोहनलालगंज लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए धारा 498A IPC में 03 वर्ष का **कठोर कारावास व 2000/- रु0** के अर्थदंड एवं अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 304B IPC में 8 वर्ष का कठोर कारावास व धारा ¾ डीपी एक्ट में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं **5000/- रूपये के अर्थदंड** तथा अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दिया गया। जेल में बितायी गयी अवधि सजा अवधि में समायोजित की जायेगी।

02-नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-

1- गया प्रसाद यादव पुत्र राम कुमार यादव नि0 धनुवासांड मजरा भदेसुवा थाना मोहनलालगंज लखनऊ

03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

1- मु0अ0सं0 160/2013 धारा 498A/304B IPC व 3/4 DP एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ

04-पैरवीकर्ता-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी थाना मोहनलालगंज लखनऊ
2- का0 प्रदीप आनन्द (पैरोकार) थाना मोहनलालगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-287
दिनांक-20.02.2026

थाना-महानगर/साइबर सेल/सर्विलांस टीम- पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

GST कर चोरी के बडे संगठित गिरोह का भण्डाफोड़: फर्जी GST फर्म बनाकर लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपये से अधिक का फर्जी लेन-देन का खुलासा- करीब 37 लाख रुपये की कर चोरी उजागर।

- **गिरोह के सदस्य गरीब जरूरतमंद लोगों को 10-15 हजार रुपये का लालच देकर उनके आधार, पैन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज प्राप्त करते थे।**
- **फर्जी किरायानामा/बिजली का बिल तैयार कर GST फर्म रजिस्ट्रेशन कराया था।**
- **फर्जी फर्मों के माध्यम से करोड़ों की बोगस ITC बेचकर GST कर चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **गिरोह द्वारा कई बोगस फर्मों का रजिस्ट्रेशन कर ITC फ्रॉड। लगभग 37 लाख रुपये की कर चोरी उजागर।**
- **फर्जी इनवॉइस, ई-वे बिल, बिजली का बिल तैयार कर अवैध कमीशन पर ITC बेचने का खेल।**
- **फर्जी ई-वे बिल तैयार कर लेन-देन को वैध दर्शाया जाता था।**
- **के0एस0 इण्टर प्राइजेज के बैंक खातों में विभिन्न कंपनियों ने करीब 4 करोड़ 70 लाख रूपये का फर्जी INVOICE बिल generate कर बिजनेस किया, जिसके आधार करीब 37 लाख रूपये का कर चोरी किया जाना पाया गया।**
- **04 मोबाइल फोन, विभिन्न बैंकों (HDFC, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB) की चेकबुक और पासबुक, तथा एक पासपोर्ट बरामद।**
- **साइबर/सर्विलांस टीम एवं थाना महानगर की टीम द्वारा की गयी कार्यवाही से संगठित GST गिरोह का पर्दाफाश।**

01.संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 03.11.2025 को **वादी मुकदमा श्री अशोक कुमार त्रिपाठी उपायुक्त राज्य कर खण्ड – 19, लखनऊ** के द्वारा जीएसटी कर चोरी के सम्बंध मे छद्म बिजली बिल का प्रयोग करते हुए M/S k s enterprises ADD- श्री भगवती चरन वर्मा मार्ग लखनऊ बिल्डिंग नंबर बी- 96 फ्लोर संख्या बिल्डिंग नाम – तेज हाउस जिला UPLUC पिनकोड 226006 पर FERROUS WASTE AND SCRAP REMENTING SCRAP IGNOTS OF IRON OR STEEL की खरीद बिक्री हेतु **GSTIN 09BCYPG487J1ZO** प्राप्त करने एवं फर्म द्वारा सुनियोजित तरीके से आई0टी0सी0 का अनुचित लाभ पहुंचाने व फर्म द्वारा रू0 3752545.32 की राजस्व की क्षति जिसमें रू0 1876272.50 उत्तर प्रदेश की राजस्व क्षति किये जाने के सम्बंध मे दाखिल किया।

जिसके सम्बंध मे थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ पर **मु0अ0सं0 289/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस** का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमे विवेचना दौरान धारा **61(2) बीएनएस की बढोत्तरी** की गई।

02-अपराध का तरीका-

विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ की दीपक नाम के व्यक्ति ने सह अभियुक्तो के साथ मिल कर अपने नाम व पते के आधार पर अपने बैक खाते का प्रयोग करते हुए फर्जी फर्म के0एस0 इण्टर प्राइजेज मे विभिन्न कम्पनियो से करोडो रुपये का लेनदेन किया और राज्य/केन्द्र सरकार से लाखो रुपये की GST चोरी कर सरकार को आर्थिक हानि पहुचाया तथा स्वयं को लाभ पहुचाया।

फर्म का रजिस्टेशन फर्जी बिजली का बिल बनाते हुए बी0-96 तेज हाऊस भगवाती चरण वर्मा मार्ग थाना महानगर लखनऊ का बोगस पता दर्शाते हुए अभियुक्त गणो द्वारा GST फर्म का निर्माण करते हुए कुल करीब 04 करोड़ 70 लाख रुपये का लेन देन की गयी है।

जबकी दिये गये पते पर निवास करने वाले मकान मालिक के मकान पर न ही ऐसी कोई आफिस है, न ही किसी प्रकार का GST फर्म का संचालन होता है। अनुपम गोगोई के नाम पर GST रजिस्ट्रेशन की पूरी कार्यावाही करते हुए फर्जी बिजली का बिल तैयार कर के0एस0 इण्टर प्राइजेज नाम की फर्जी फर्म जनरेट की गयी थी और उक्त फर्जी फर्म के द्वारा कर चोरी के उद्देश्य से कई बिजनेश फर्मो से सम्पर्क करते हुए विभिन्न खातो मे पैसे ट्रांसफर किया गया है।

जिससे सरकार को GST चोरी के रुप मे 37 लाख रुपये का नुकसान हुआ है ,ट्रांसफर किये गये पैसो मे से अभियुक्त दीपक द्वारा 04 चेक के माध्यम से कुल लगभग 15 लाख रुपये अपने अन्य साथी प्रशान्त तिवारी को दिया गया है,जिसका उपयोग उसके द्वारा अपने घर के विभिन्न कार्यो मे किया गया है।

इस प्रकार से अन्य कई अभियुक्त भी उक्त फर्म से जुड़े हुए है ,तथा **फर्म रजिस्टर्ड कराने वाले अनुपम गोगोई व अन्य अभी फरार चल रहे है, जिनकी तलाश में टीम लगी हुई है।**

गिरफ्ताशुदा अभियुक्तो के आपराधिक इतिहास के सम्बंध मे जानकारी की जा रही है।

03-अपराध का तरीका/उद्देश्य -

अभियुक्त गणो द्वारा तेजी से पैसा कमाने के उद्देश्य से फर्जी बिजली का बिल तैयार करते हुए तथा अन्य सह अभियुक्तो व दीपक,कैलाश,प्रशान्त को साथ मे रखते हुए ,पैसे का लालच देकर फर्जी दस्तावेजो के आधार पर फर्जी फर्म रजिस्टर्ड कराकर विभिन्न कम्पनियो से सम्पर्क करते हुए एक दूसरे का लाभ पहुचाने के उद्देश्य से विभिन्न खाता धारको के खाते में पैसे ट्रांसफर किये जाते थे।

04-गिरफ्तार अभियुक्तो की अपराध मे भूमिका-

01. दीपक- इसने सह अभियुक्तो के साथ मिल कर अपने नाम व पते के आधार पर अपने बैंक खाते का प्रयोग करते हुए फर्जी फर्म के0एस0 इण्टर प्राइजेज मे विभिन्न कम्पनियो से करोडो रुपये का लेनदेन किया और राज्य/केन्द्र सरकार से लाखो रुपये की जी0एस0टी0 चोरी कर सरकार को आर्थिक हानि पहुचाया तथा स्वयं को लाभ पहुचाया।

02. प्रशान्त- इसके द्वारा अपने साथी दीपक से **04 चेक के** माध्यम से लगभग **15 लाख रुपये** अपने खाते में लेकर परिवारिक कार्यो मे व्यय किया गया है, वह दीपक एवं अन्य सह अभियुक्त गणो के साथ मिलकर **बैंक खातो का संचालन करता था।**

03. कैलाश- इसके द्वारा फर्जी तरीके से **के0एस0 इण्टर प्राइजेज की मुहर बनवा कर** उसका दुरूपयोग करते हुए दीपक व प्रशान्त के साथ मिल कर **खाता खुलवाकर** GST चोरी करने मे मदद किया।

05-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण—

01. दीपक कुमार पुत्र स्व0 महेश प्रसाद निवासी सलेमपुर पतौरा मोहान रोड काकोरी थाना पारा कमि0 लखनऊ उम्र 25 वर्ष (**शिक्षा**- कक्षा 8वी पढ़ाई की है।) **व्यवसाय**-फर्नीचर का काम करता था वर्तमान में कोई काम नहीं कर रहा है। यह **हत्या के प्रकरण में थाना पारा, लखनऊ से वर्ष 2019 में जेल जा चुका है।**

02. प्रशान्त तिवारी पुत्र राकेश कुमार तिवारी निवासी बादरखेड़ा बुद्धेश्वर थाना पारा जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष, **शिक्षा**- कक्षा 8वी पढ़ाई की है। **व्यवसाय**-मोबाइल रिपरेयरिंग का काम करता था वर्तमान में कोई काम नहीं कर रहा है।

03.कैलाश मौर्या पुत्र राम खिलावन मौर्या निवासी जाजमऊ सण्डीला थाना सण्डीला जनपद हरदोई उम्र 32 वर्ष (**शिक्षा**- B.sc पढ़ाई की है।) **व्यवसाय**-प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है।

06- अनावरित अभियोगः-

(1) मु0अ0सं0 289/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस एवं बढोत्तरी धारा 61(2) बीएनएस।

07- अपराधिक इतिहास- अभियुक्त दीपक

01-मु0अ0सं0-761/2019 धारा 147/149/201/302/364 भादवि थाना पारा कमि0 लखनऊ

02-मु0अ0सं0-154/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गैगेंस्टर एक्ट 1860 थाना पारा कमि0 लखनऊ

अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बंध मे जानकारी की जा रही है

07- बरामदगी

- 04 अदद मोबाइल फोन
- HDFC बैंक की चेकबुक 01 अदद
- कोटक महिंद्रा की चेक बुक 02 अदद
- बैंक ऑफ बड़ौदा की चेक बुक 01 अदद
- 01 अदद पासबुक भारतीय स्टेट बैंक की
- 01 अदद बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक
- 01 अदद विथड्रॉल फार्म बैंक ऑफ बड़ौदा की
- 01 अदद चेकबुक पंजाब नेशनल बैंक
- 01 अदद पासपोर्ट प्रशान्त तिवारी।

08-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

साईबर सेल, लखनऊ, स्वाट / सर्विलांस टीम, लखनऊ, थाना महानगर लखनऊ- संयुक्त पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-290
दिनांक 20.02.2026

जोन- उत्तरी/थाना रहीमाबाद

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 06 अभियुक्त/अराजक तत्वों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 20.02.2026 उ0नि0 गुड्डू प्रसाद मय हमराह आरक्षी गौरव पाण्डेय के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, जाँच एहकामात, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन व जाँच प्रार्थना पत्र में गहदों बाजार में सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था ड्यूटी हेतु मामूर था, जहाँ पर पूर्व से रवाना आरक्षी किशनवीर सिंह पिकेट मौजूद थे तभी ग्राम हुसैनपुर में लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई।

प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम हुसैनपुर मजरा बड़खोरवा पहुँचा। जहाँ पहुँचकर देखा तो गाँव में एक स्थान पर काफी भीड़ लगी है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि गाँव के रहने वाले **प्रथम पक्ष** के **01.**सुफियान पुत्र स्व0 सुलेमान उम्र करीब 30 वर्ष, **02**.जल्ला उर्फ जलील पुत्र श्री हैदर उम्र करीब 25 वर्ष, **03.**मुजीब पुत्र इसरार उम्र करीब 25 वर्ष व **द्वितीय पक्ष** के **01.**सद्दाम पुत्र श्री सुल्तान उम्र करीब 20 वर्ष, **02.**मुशीर पुत्र स्व0 सलारी उम्र करीब 45 वर्ष, **03.**सलमान पुत्र मुशीर उम्र करीब 24 वर्ष सर्व निवासीगण ग्राम हुसैनपुर मजरा बड़खोरवा थाना रहीमाबाद लखनऊ के मध्य आपस में पुरानी रंजिश व मुकदमेंबाजी को लेकर दोनों पक्ष आपस में आमादा फौजदारी हो रहे थे।

उक्त पक्षों के व्यक्तियों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। किन्तु उक्त दोनों पक्षों के व्यक्ति कोई बात मानने के बजाय और उग्र होकर आमादा फौजदारी हो गये। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा मौके पर शान्ति व्यवस्था भंग करने करने की प्रबल सम्भावना उत्पन्न हो रही थी, अतः मौके पर मौजूद **प्रथम पक्ष** के **01.सुफियान**, **02.जल्ला उर्फ जलील**, **03.मुजीब** व **द्वितीय पक्ष** के **01.सद्दाम**, **02.मुशीर**, **03.सलमान** को शान्ति व्यवस्था के मद्देनजर एवं संज्ञेय अपराध के निवारण के क्रम में अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS के तहत हिरासत पुलिस लिया गया।

उपरोक्त अभियुक्तो के विरूद्ध चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

01. सुफियान पुत्र स्व0 सुलेमान उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम हुसैनपुर मजरा बड़खोरवा थाना रहीमाबाद लखनऊ
02. जल्ला उर्फ जलील पुत्र हैदर उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसैनपुर मजरा बड़खोरवा थाना रहीमाबाद लखनऊ
03. मुजीब पुत्र इसरार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसैनपुर मजरा बड़खोरवा थाना रहीमाबाद लखनऊ
04. सद्दाम पुत्र सुल्तान उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम हुसैनपुर मजरा बड़खोरवा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
05. मुशीर पुत्र स्व0 सलारी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम हुसैनपुर मजरा बड़खोरवा थाना रहीमाबाद लखनऊ
06. सलमान पुत्र मुशीर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम हुसैनपुर मजरा बड़खोरवा थाना रहीमाबाद लखनऊ

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना रहीमाबादः-

1. उ0नि0 गुड्डू प्रसाद थाना रहीमाबाद लखनऊ।
2. आरक्षी गौरव पाण्डेय थाना रहीमाबाद लखनऊ।
3. आरक्षी किशनवीर थाना रहीमाबाद लखनऊ।